**भारत सरकार**

**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 240**

**सोमवार, 18 दिसम्बर, 2017/27 अग्रहायण, 1939 (शक)**

**निष्क्रिय खाते**

**240. श्री के. परसुरमन**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निपटान किए गए ईपीएफ निष्क्रिय खातों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार निष्क्रिय खातों पर ब्याज प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लंबे समय से निष्क्रिय ईपीएफ खातों की राशि का अन्यत्र प्रयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में निष्क्रिय खातों को परिभाषित नहीं किया गया है। वस्तुतः, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किसी अदावाकृत खाते का निपटान नहीं किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60(6) के अनुसार उन सदस्यों के खातों पर उस तिथि से किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा जिस तिथि को उनके खाते कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अंतर्गत निष्क्रिय हो गये हैं।

तथापि, केंद्र सरकार ने 11 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 1065(अ) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) में संशोधन किया है जिसमें उन दशाओं के बारे में संशोधन किया गया है जिनके कारण कोई भविष्य निधि खाता निष्क्रिय खाता हो जाता है। संशोधित उपबंध के क्रियान्वयन के पश्चात कोई खाता तब निष्क्रिय हो जाता है जब उसके संबंध में कोई सदस्य 55 वर्ष की आयु/सेवा-निवृत्ति की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से 36 माह के पश्चात यदि कोई दावा न किया गया हो।

(ग) और (घ): वित्त अधिनियम, 2015 में 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि' की स्थापना की गई है जिसका वित्त पोषण लघु बचत, सार्वजनिक भविष्य निधि अथवा अन्य किसी स्कीम के अंतर्गत यथा विहित किसी निष्क्रिय खाते के रूप में घोषणा की जाने वाली तिथि से 7 वर्षों की अवधि में अदावाकृत किसी शेष राशि वाले खाते से किया जाना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित निधि और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरित राशि को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पेंशन धारकों के हितार्थ उपयोग किया जाएगा।

*****

**भारत सरकार**

**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 280**

**सोमवार, 18 दिसम्बर, 2017/27 अग्रहायण, 1939 (शक)**

**ईपीएफ योजना में संशोधन**

**280. श्री ए. अरुणमणिदेवन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु निजी भविष्य निधि न्यासों को ईपीएफओ के दायरे में वापस लाने के मुख्य उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क): जी, नहीं।

(ख): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 427**

**सोमवार, 18 दिसम्बर, 2017 / 27 अग्रहायण, 1939 (शक)**

**भविष्य निधि और पेंशन संबंधी शिकायतें**

**427. प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भविष्य निधि और पेंशन से संबंधित शिकायतों के समाधन के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में ईपीएफओ खाताधरकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं और अधिकारियों द्वारा उपेक्षा की घटनाएं सामने आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) और (ख): जी, हां। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने लोक शिकायतों और उसके निवारण हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भविष्य निधि (पीएफ) और पेंशन धारकों को सुविधा प्रदान की है, जो निम्नलिखित इन्टरनेट आधारित शिकायत निपटान पोर्टल पर उपलब्ध है:-

i. केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)।
ii. कर्मचारी भविष्य निधि इन्टरनेट शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ईपीएफआईजीएमएस)।

(ग) और (घ): समय-समय पर प्राप्त होने वाले ईपीएफओ खाताधारकों के समक्ष पेश आ रही समस्याओं को लोक शिकायत निपटान प्रणाली के माध्यम से निपटाया जाता है।

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2045**

(जिसका उत्तर 29 दिसम्बर, 2017/8 पौष, 1939 (शक) को दिया जाना है)

अंशदायी भविष्यनिधि पेंशनभोगी

2045. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरियाः

क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अंशदायी भविष्यनिधि पेंशनभोगियों की मौजूदा पेंशन दरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अंशदायी भविष्यनिधि की दरों को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार के पास 31 मार्च, 2016 तक कुल अंशदायी भविष्यनिधि पेंशनभोगियों की संख्या के संबंध में कोई सूचना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)**

**(क) से (घ)** : केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जो सीपीएफ नियमावली (भारत) 1962 द्वारा कवर हैं तथा जो दिनांक 01.01.1986 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं; किसी भी मासिक पेंशन/अनुग्रह राशि के हकदार नहीं हैं। तथापि, सीपीएफ के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 18.11.1960 और 31.12.1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, मासिक अनुग्रह राशि के हकदार हैं। वर्तमान में उन सीपीएफ लाभार्थियों, जो दिनांक 01.01.1986 से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, को निम्नानुसार अनुग्रह राशि का भुगतान स्वीकार्य है:

| क्रम सं. | सेवा का समूह जिससे सेवानिवृत्ति के समय सीपीएफ सेवानिवृत्त व्यक्ति संबंधित था | मूल मासिक अनुग्रह की बढ़ी हुई राशि |
|---|---|---|
| 1 | समूह 'क' सेवा | 3000/- रूपए |
| 2 | समूह 'ख' सेवा | 1000/- रूपए |
| 3 | समूह 'ग' सेवा | 750/- रूपए |
| 4 | समूह 'घ' सेवा | 650/- रूपए |
| 5 | दिवंगत सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं एवं आश्रित बच्चे | 645/- रूपए |

अनुग्रह की राशि एवं महंगाई अनुग्रह राशि के योग पर पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग श्रेणी के अनुसार समय समय पर यथा अधिसूचित, अनुग्रह की राशि तथा महंगाई राहत के 50% के बराबर की महंगाई अनुग्रह राशि उन्हें दी जा रही है। उपर्युक्त दरों को बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

*******

**भारत सरकार**

**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 183***

**सोमवार, 1 जनवरी, 2018/11 पौष, 1939 (शक)**

**त्रिपक्षीय तंत्र की स्थापना**

***183. श्री बलका सुमन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत श्रमिकों के संबंध में राज्य और केन्द्र सरकार की दोहरी जवाबदेही के संवैधानिक अधिदेश तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन सी-144 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर श्रम संबंधी नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करते समय सामाजिक भागीदारों को सदैव सम्मिलित करने हेतु श्रमिक समूह, नियोक्ता समूह और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियो को सम्मिलित करते हुए त्रिपक्षीय तंत्र स्थापित करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्यों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

**उत्तर**

**श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) से (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

********

**त्रिपक्षीय तंत्र की स्थापना के संबंध में श्री बलका सुमन द्वारा 01.01.2018 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 183 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।**

(क): जी, हॉ।

(ख): हमें झारखंड, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, छत्तीसगढ, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारों से अभिस्वीकृति प्राप्त हुई है।

त्रिपुरा सरकार ने श्रम संबंधी राज्य-स्तरीय त्रिपक्षीय परामर्श के संस्थागत ढांचे की सूचना देने वाले हमारे सम्प्रेषण का जवाब दिया है।

******